न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 190/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
बजरंगलाल पुत्र रामसुख जाति सुथार निवासी सरंगिया कलां तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1– सीतादेवी पुत्री भूराराम पत्नी नाथूराम जाति सुथार निवासी 51ए, लढ्ढा कॉलोनी गली नंबर 3, लोको रोड रातानाडा जोधपुर 2– मोहनीदेवी पुत्री भूराराम पत्नी पुनाराम जाति सुथार निवासी सुथारो का बास नांदिया प्रभावित तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3– तीजोदेवी पुत्री भूराराम पत्नी गगाराम जाति सुथार निवासी आकथली तहसील व जिला जोधपुर 4– तहसीलदार भोपालगढ 5– ग्राम पंचायत रतकुडिया जरिये सरंपच तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व अपील संख्या 13/2014 अनवान सीतादेवी बनाम सरकार वगैरा मे दिनांक 9–10–2015 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री नन्दकिशोर दाधीच अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–श्री अणदाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।
4–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।
5–शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 04–01–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 सीतादेवी पुत्री स्व0 भूराराम जाति सुथार की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ के समक्ष ग्राम सरंगियाकलां तहसील बिलाडा के नामांतरकरण संख्या 91 जिसे सरपंच ग्राम पंचायत रतकुडिया द्वारा स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध इस आशय की प्रथम अपील पेश की कि उक्त नामांतरकरण मे वर्णित 9 खसरान की कुल 126 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदार भूराराम पुत्र रूघाराम जाति खाती सा0 देह के खातेदारी की थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील मे मृतक खातेदार भूराराम के वारिसान की वंशावली का उल्लेख किया, जिसमे मृतक भूराराम के तीन पुत्रियां सीतादेवी (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1), मोहनीदेवी तथा तीजादेवी (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 व 3) तथा एक पुत्र स्व0 रामसुख (वर्तमान अपीलांट हनुमानराम के पिता) थे जो सभी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होते हुए खातेदार भूरारामजी के देहांत पर उनके खातेदारी की भूमि का

विरासत का नामांतरकरण केवल एक पुत्र के नाम मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना तथा अन्य वारिसान की सहमति के बिना स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील विलंब से प्रस्तुत करने के कारण अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथपत्र भी पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–10–2015 के द्वारा नामांतरकरण संख्या 91 पर सरपंच ग्राम पंचायत रतकुड़िया द्वारा पारित किया गया स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह स्व0 भूराराम वल्द रूघाराम के विधिक वारिसान की पूर्णतया जांच कर तदनुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित करें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 9–10–2015 के विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा में पेश की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 91 ग्राम सरगियाकलां जो वर्ष 1980 मे स्वीकृत किया गया था उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2014 मे लगभग 34 वर्ष विलंब से प्रथम अपील पेश की थी, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया तथा तारीख पेशी दिनांक 20–10–2014 को रखी गई परंतु तारीख पेशी 28–11–2014 पर अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर अपीलांट प्रार्थियां की अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारीज कर दी थी तथा उक्त अपील को रेस्टोर करवाने हेतु अधिवक्ता अपीलांट (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 8–12–2014 को आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया । वकील अपीलांट का कथन है कि आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र विचाराधीन प्रकरण मे लागू होता है जबकि प्रकरण के निस्तारण के बाद उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट की अपील को रेस्टोर करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) की अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारीज कर दिये जाने के बाद उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश 09 नियम 07 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र को रेस्टोर करने से पूर्व रेस्पो0गण (वर्तमान अपीलांटगण) को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे सभी रेस्पो0 गण की तामिली पूर्ण करवाये बिना ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए लगभग 36 वर्ष पूर्व स्वीकृत नामांतरकरण को निरस्त करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके

समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 91 जो कि वर्ष 1980 मे स्वीकृत हुआ था उसके विरूद्ध 36 वर्ष पश्चात प्रस्तुत म्युटेशन अपील को स्वीकार करने से पूर्व मयाद के बिन्दु पर गौर कर उसे पहले निर्णय मे मयाद के बिन्दु पर विवेचन करना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मयाद के बिन्दु को निर्णित किये उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित कर दिया जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित किया जाना आवश्यक होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील: अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने 34 वर्ष विलंब से अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 91 मे वर्णित भूमि मे अपना हक अधिकार होना मानते हुए म्युटेशन अपील प्रस्तुत की थी जबकि म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है, नियमित वाद की कार्यवाही के जरिये ही पक्षकारो के हक अधिकारो का निर्धारण संभव है तथा यह भी कथन किया कि इतने लंबे समय के अंतराल मे अपीलाधीन भूमि मे से कुछ खसरा नंबरान की भूमि का बेचान भी हो चुका है तथा बेचान के आधार पर क्रेतागण के पक्ष मे म्युटेशन भी स्वीकृत हो चुके है इसलिए वर्तमान रेकर्डेड खातेदारो को अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–10–2015 को निरस्त कर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 91 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

उपस्थित रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–10–2015 को पढकर सुनाया तथा हस्तलिखित अपीलाधीन आदेश के प्रथम पैरा मे ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का सदभावी कारणो पर आधारितहोने के कारण न्यायहित मे स्वीकार कर लिया था उसके बाद अपील के गुणावगुण पर विवेचन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलांट का यह कथन सही नही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार करने का आदेश पारित किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है इसलिए इस बिन्दु पर अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार भूरारामजी की पुत्रियां है तथा स्व0 भूरारामजी के एक पुत्र वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 के पिता रामसुख था जिसका देहांत हो चुका है, अवगत कराते हुए कथन किया कि उक्त सभी मृतक खातेदार भूरारामजी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस थे परंतु सरपंच ग्राम पंचायत रतकुडिया ने हमे बिना सुने तथा हमारी बिना सहमति के अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 90 अकेले पुत्र रामसुख के नाम विधिविरूद्ध स्वीकृत कर

दिया, जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उक्त म्युटेशन संख्या 90 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को मृतक भूराराम के विधिक वारिसान की जांच कर तद्नुसार विधि अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता की यह बहस कि अपीलार्थियां मृतक खातेदार भूराराम की पुत्री भी हैं या नही, इसकी अधीनस्थ न्यायालय ने जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसके जवाब मे वकील रेस्पो0संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय प्रस्तुत अपील मे स्वयं को मृतक खातेदार भूरारामजी की पुत्री होने का सशपथ कथन किया है जिसका अधीनस्थ न्यायालय मे कोई खण्डन नही होने से यह उनका एडमिशन ही माना जायेगा तथा अपीलांट अधिवक्ता ने इस न्यायालय मे भी यह साबित नही किया है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 मृतक खातेदार भूरारामजी की पुत्री नही है । रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को मृतक खातेदार भूराराम के विधिक वारिसान की जांच के लिए ही तो रिमाण्ड किया है, तो वहां इस तथ्य की भी जांच हो जायेगी इसलिए अपीलांट अधिवक्ता का यह तथ्य सही नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने कथन किया कि मै अपने पिता के खातेदारी मे अधिकार के लिए क्यो दावा पेश करू, क्योकि ग्राम पंचायत ने हमे बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन म्युटेशन मृतक खातेदार के अन्य प्रथम श्रेणी के समस्त विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत नही कर केवल एक पुत्र के नाम स्वीकृत कर दिया, जो प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण होने से ऐसे त्रुदिपूर्ण आदेशो के विरूद्ध अपील करने मे कोई समयसीमा नही है तथा मेरे द्वारा जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अपीलांट अधिवक्ता ने जवाब उल जवाब मे कथन किया कि हमे अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का अवसर ही नही मिला इसलिए मै अपनी ओर से आपत्ति प्रकट नहीं कर सका इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने तथा अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बिधिसम्मत बताया तथा अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट का इस अपील मे मुख्य कथन यह है कि उन्हे अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया तो अब अपीलाधीन आदेश की पालना मे अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण सभी तहसीलदार भोपालगढ

के समक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना कथन प्रस्तुत कर सकते है इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–10–2015 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 90 आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । प्रस्तुत अपील मे अपीलांट के पिता रामसुख एवं वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 से 3 क्रमशः सीतादेवी, मोहनीदेवी एवं तीजादेवी सभी मृतक खातेदार भूराराम के पुत्र एवं पुत्रियां होने का तथ्य प्रकट हुआ है जिसके अनुसार वे सभी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान है ।

अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 90 ग्राम सरगियाकलां मे वर्णित कुल 9 खसरान की सम्पूण भूमि क़ा रकबा 126 बीघा 16 बिस्वा जो कि खातेदार भूराराम पुत्र रूघाराम जाति खाती नि0 देह के फोत होने पर उतराधिकार का म्युटेशन उसके पुत्र रामसुख पुत्र भूराराम कौम खाती कें नाम भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत रतकूडियां द्वारा वर्ष 1980 मे स्वीकृत कर दिया जबकि मृतक खातेदार भूराराम के तीन पुत्रियां भी जिवित थी तथा वे भी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होने से उनका भी अपने पिता के खातेदारी की भूमि मे पुत्र के समान अधिकार था परंतु उन्हे अपने पिता के खातेदारी अधिकारो से वंचित रखा जाकर उक्त म्युटेशन स्वीकृत किया गया था, जो त्रुटिपूर्ण था तथा ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेशो के विरूद्ध अपील करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है । उक्त अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के पैरा प्रथम मे अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे वर्णित कारणो को सद्भावी मानते हुए अपील को अंदर मयाद शुमार करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत है तथा अपीलांट का यह कथन गलत है कि अपील को मयाद पर निर्णय किये बिना गुणावगुण पर निर्णय कर दिया हो ।

प्रस्तुत अपील मे अपीलांटगण क़ा मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय मे सभी रेस्पो0गण के सम्मन तामिल करवाये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही हैं । इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता का यह भी कथन हैं कि म्युटेशन संख्या 90 मे वर्णित अपीलाधीन भूमि मे से कुछ भूमि का बेचान हो चुका है तथा बेचान के आधार पर म्युटेशन भी स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड मे केतागणो का नाम दर्ज हो चुका है परंतु उन्हे अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना तथा राजस्व रेकर्ड की जांच किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण है ।

अपीलांट अधिवक्ता के उक्त कथनो के संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–10–2015 के द्वारा नामांतरकरण संख्या 90 पर सरपंच ग्राम पंचायत रतकुडिया द्वारा पारित किया गया स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह स्व0 भूराराम वल्द रूघाराम के विधिक वारिसान की पूर्णतया जांच कर तदनुसार विधि अनुरूप

न्यायोचित निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये है, तो अपीलांट तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। इसके अलावा अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित भूमि मे से कुछ खसरा नंबरान की भूमि यदि बेचान हो भी गई है तो अपीलाधीन भूमि के खरीददारान तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष उपस्थित होकर अपने पक्ष मे बेचान दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड के आधार पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है ।

इस संबंध मे इस अपीलीय न्यायालय स्तर से तहसीलदार भोपालगढ को रिमाण्ड कार्यवाही मे यह अतिरिक्त निर्देश पारित किया जाना न्यायोचित समझते है कि वे वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित भूमि मे से बेचान हुई भूमि के हितबद्ध पक्षकारो को भी सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत नामांतरकरण की कार्यवाही करें ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 9–10–15 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 04–01–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अति॰ सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर